सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 148/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

ताराचन्द पुत्र घीसा रेगर निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पुत्र कल्याण जाति कुम्हार
2. बरदा पुत्र लादू जाति कुम्हार
3. बाली पुत्री लादू जाति कुम्हार
4. रोडूलाल उर्फसत्येन्द्र पुत्र बाली पुत्री लादू
5. राजेन्द्र उर्फ राजूलाल पुत्र बाली पुत्री लादू
6. देवीलाल दत्तक पुत्र हीरा कुम्हार
   समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर राज.
7. तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 22.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खवास में पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। प्राथी/अप्रथीगण उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम कादेडा की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 709 के खसरा नम्बर 3182 रकबा 0.81 है.भूमि ें प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हे। प्रार्थी की उक्त आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 3180,3181 में से होकर आता जाता है उक्त रास्ते के अलावा प्राथी के आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते का उपयोग प्राथी कृषि यंत्रो को लाने ले जाने फसल काश्त करने आदि के लिये करता आ रहा है। पडोसी खातेदारों द्वारा उक्त रास्त पर अवेध कब्जा कर प्राथी को आने जाने नही दिया जा रहा है। जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें ।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी स. 1,2,6 की ओर से अधिवक्ता श्री मगनलाल लोधा एंव ने पावर पेश किया।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प खवास में पेश हुइ जहां प्रार्थी स्वयं उपस्थित । हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। तहसीलदार केकडी से मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी की आराजी खसरा नम्बर 3182 में आने जाने हेतु प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 3180,3181 में से रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 3182 के लगायत खसरा नम्बर 3180 है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हे जिसके लगायत खसरा नम्बर 3160 व 3161 है जिनमें से नामान्तकरण स. 2788 दिनांक 13.7.2017 के द्वारा खसरानम्बर 3160 रकबा 0.67 में से 4280/3160रकबा 0.0312 है. एव खसरानम्बर 3161 रकबा 0.55 है. मेंसे खसरा नम्बर 4281/3161 रकबा 0.0264 गै.मु. रास्ता किस्म दर्ज होकर स्वीकृत हो चुके है। खसरा नम्बर 3182 के निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 3180 मेसे होकर जाता हुआ खसरा नम्बर 4280/3160 एवं 4281/3161 मे मिल सकता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0120 है. बनता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता प्रार्थी के खेत में जाने हेतु नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर के हाल खसरा नम्बर 3182 में आने जाने हेतु रास्ता चाहने बाबत स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थनापत्र वर्णित खसरा नम्बर 3182 में आने जाने हेतु ग्राम कादेडा के खसरा नम्बर 3180 रकबा 0.11 है. मेसे 0.0120 है. क्षेत्रफल का रास्ते हेतु वर्तमान पंजीयन दर 205200 से कुल राशि 2463 रूपये के दुगनी राशि 4926/–रूपये प्रार्थी द्वारा जमा राजकोष या भुगतान किये जाने पर वर्तमान राजस्व मानचित्र में तरमीम की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय हाजा को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी